



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032021-226041
CG-DL-E-23032021-226041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1181]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943

No. 1181]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.आ. 1274(अ).—नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के उपनियम (xi) के उपखंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, केन्द्र सरकार निम्नलिखित तत्वों, नमक और उससे बनी सामग्री को निर्मित दवा घोषित करती है, यथा:-

- (i) क्रोटोनीफेलेटेनल: (2 ई)-एन-फिनाइल-एन- [1- (2-फेनिलथाइल) पिपेरिडिन-4-यल] बट 2-एनामाइड;
- (ii) वेलेरीफेलेटेनल: एन-फेनिल-एन- [1- (2-फेनिलथाइल) पिपेरिडिन-4-यल] पेंटानैमाइड;
- (iii) पैराफ्लोरोबूट्रीफ्लोरेटैनल: एन- (4-फ्लोरोफिनाइल) -एन- [1- (2-फेनिलथाइल) पिपेरिडिन-4-यल] ब्यूटामाइड;
- (iv) ऑर्थो-फ्लोरोफेंटेनल: एन- (2-फ्लोरोफिनाइल)-एन- [1- (2-फेनिलथाइल) पिपेरिडिन-4-वाइएल] प्रोपेनामाइड;
- (v) मेथोक्सीसिटिल फेंटेनल: 2-मेथॉक्सी-एन-फेनिल-एन- [1- (2-फेनिलथाइल) पिपेरिडिन-4-यल] एसिटामाइड;
- (vi) साइक्लोप्रोपाइलफेंटेनल: एन-फेनिल-एन- [1- (2-फेनिलथाइल) पिपेरिडिन-4-यल] साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड।

[फा. सं. एन-13/01/2019-एनसी-II]

दिनेश बौध्द, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.O. 1274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares the following substances, salts and preparations thereof to be manufactured drugs, namely: -

- (i) Crotonylfentanyl: (2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]but-2-enamide;
- (ii) Valerylfentanyl: N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]pentanamide;
- (iii) Parafluorobutyrylfentanyl: N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] butanamide;
- (iv) Ortho-Fluorofentanyl: N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] propanamide;
- (v) Methoxyacetyl fentanyl: 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] acetamide;
- (vi) Cyclopropylfentanyl: N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] cyclopropane carboxamide.

[F. No. N-13/01/2019-NC-II]

DINESH BOUDDH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.आ. 1275(अ).—जहां कि केन्द्र सरकार निम्नलिखित तत्वों (प्राकृतिक या सिन्थेटिक) या प्राकृतिक माल या कोई भी नमक या ऐसे तत्वों से बने पदार्थ या माल के दुरुपयोग का क्षेत्र और प्रभाव और प्रकृति के संबंध में और यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटॉन्सिस, 1971 में ऐसे तत्वों के संबंध में किए गए परिवर्तन और बदलाव को शामिल किया गया है, उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होते हुए कि नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (एतत्पश्चात उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नशीले पदार्थों की सूची में निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक माल या नमक या ऐसे तत्वों से बने पदार्थ या माल को जोड़ा जाना आवश्यक है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वापक पदार्थों की सूची में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, क्रम सं. 110 ZE. और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम.संख्याओं और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया गया है, यथा :-

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय नान-प्रोप्रीटरी नेमस	अन्य नान-प्रोप्रीटरी नेमस	रसायनिक नेमस
“110ZF		एबी-फ्यूबीनाका	एन-[(2एस)-1-अमीनो-3-मैथाइल-1-ओक्साबूटन-2]-1-[(4फ्लुओरोफेनाइल) मैथाइल] इंडाजेडोल-3-कॉरबोएक्सामिड
110ZG		5 एफ-एएमबी-पिनाका(5एफ-एएमबी, 5एफ-एमएमबी-पिनाका)	मैथाइल 2-({[1-(5-फ्लुओरोफेनटाइल)-1एच-इंडाजेडोल 3यल] कारबोनिल} अमीनो)-3-मैथिलबूटपनोएट
110ZH		5 एफ -एमडीएमबी-पिका (5 एफ - एमडीएमबी - 2201)	मैथाइल(एस)-2-(1-(5- फ्लुओरोफेनटाइल)-1एच-इंडोल-3- कॉरबोएक्सामिड)-3,3- डिमैथिलबूटपनोएट